Indian J. Soc. & Pol. 06(01):63-66:2019 **ISSN: 2348-0084(P)**
ISSN: 2455-2127(O)

धर्मनिरपेक्षता : भारतीय संदर्भ

निशा जायसवाल[1]
[1]सहयुक्त आचार्य,राजनीतिशास्त्र विभाग,दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

भारत विभिन्न धर्मों का देश है। इस विविधता से ही भारत में धर्मनिरपेक्षता का एक अन्य लक्षण उभरता है। सभी धर्मों के प्रति राज्य सत्ता अवयव को तटस्थ होना चाहिए। धार्मिक लोग इसे सभी धर्मों के प्रति समान भाव के रूप में देखते हैं। धर्म निरपेक्षता के क्षेत्र में राज्य की तटस्थता का यह सिद्धान्त धर्म या जाति के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी तरह के भेद–भाव के अभाव का रूप ग्रहण कर लेता है। अर्थात् भारत में धर्म निरपेक्षता का एक अन्य लक्षण भी मौजूद है। यूरोप में धर्म निरपेक्षता सामान्यतः राज्य को धर्म से अलग करने के लिए और विशेषतः धर्म को शिक्षा से बाहर रखने के लिए उदित और विकसित हुई। भारत में भी यद्यपि कि यही अवधारणा संवैधानिक रूप से स्वीकार की जाती है, किन्तु इस सम्बन्ध में कई अन्य पृथक् विचार भी सामने आते हैं, जिसमें प्रायः धर्म को व्यक्तिगत मामला माना जाता है, जिसका राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

KEYWORDS: *भारमीय संस्कृति, धर्म, साम्प्रदायिकता, धर्म निरपेक्षता*

परम्परागत भारतीय संस्कृति विशेष अर्थों में धार्मिक मानी जाती रही है। इसी संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न का प्रारूप भिन्न होने का दावा किया जाता रहा है, किन्तु यथार्थता के स्तर पर समकालीन परिदृश्य में धर्मनिरपेक्षता एक बड़ी चुनौती और अपरिहार्यता के रूप में सामने आती है। धर्म निरपेक्षता की चर्चा वास्तव में पश्चिमी देशों के संदर्भ में अस्तित्व में आती है, जहाँ राज्य की शक्ति को चर्चों से पृथक करने का प्रयास किया गया और राज्य को विभिन्न धर्मों के अस्तित्व से पृथक करते हुए प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म एवं विश्वास आदि परम्परा को स्वीकारने का आश्वासन दिया गया। इस विषय पर अध्ययन करने वाले कई विद्वानों (गहराना; 1998, कार; 1998, शर्मा; 2000 एवं येरांकर; 2006) आदि ''धर्म निरपेक्षता की उत्पत्ति की प्रकृति'' एवं ''धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत'' के कारण धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विकास हुआ। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हालांकि कई विचारक धर्म निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से सहमत नहीं हो पाते, लेकिन वास्तविकता में इसका एक सार्वभौमिक अर्थ है। ''बुनियादी रूप से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य, सत्ता एवं राजनीति को धर्म से अलग रखना है, अथवा धर्म का सत्ता एवं राजनीति से अलगाव है। यह सार्वभौमिक तथ्य है। धर्म निरपेक्षता की जो परिभाषा इससे इनकार करती है, वह वस्तुतः धर्म निरपेक्षता को ही अस्वीकार करती है। (चन्द्रा विपिन; 2005)।

वैज्ञानिक रूप से परिभाषित एक धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ एक ऐसे राज्य से है जो प्रत्येक नागरिक को बराबर मानता है और किसी भी सामाजिक पहचान को मान्यता नहीं देता है, न ही किसी राजनीतिक लाभ के धार्मिक वर्गीकरण को प्रश्रय देता है। वैसे आमतौर पर धर्मनिरपेक्षता को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सद्भावना के संरक्षण पर विशेष जोर देने वाली धार्मिक समरसता के रूप में देखा जाता है।

हालांकि (रिजवी 2005) के शब्दों में धर्म निरपेक्षता का मूल तत्व निम्नलिखित दो आधारभूत सिद्धांतों पर प्रक्रियागत होता है –

1. राजनीति और धर्म का पृथक् अस्तित्व
2. धर्म की स्वीकृति पूरी तरह से निजी है, जिसकी राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं।

अतएव धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य है कि, राज्य की राजनीति और धर्म से जीवन के गैर धार्मिक कार्यों को पृथक् मामले के रूप में जाना जाय (चन्द्रा; 2008)। इसीलिए जब भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, तब उसका सम्बन्ध इस बात से होता है कि राज्य स्वयं को किसी भी धार्मिक पहचान से पृथक् रखता है और किसी व्यक्ति या समूह को धार्मिक आधार पर अक्षम या भेदभाव करने योग्य नहीं मानता है। यद्यपि यह अर्थ दूसरे परिप्रेक्ष्य में बदल जाता है, जहाँ धर्म और धर्मनिरपेक्षता को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। फिर भी निष्कर्षतः हम कह सकते है कि भारत में धर्म निरपेक्षता का आमतौर पर अर्थ सर्वधर्म समभाव से अधिक लिया जाता है जहाँ विभिन्न अवसरों पर राज्य भी धार्मिक प्रयोजनों में सहभागिता करता है।

धर्मनिरपेक्षता : ऐतिहासिक संदर्भ

1: Corresponding Author

वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता की धारणा का प्रादुर्भाव यूरोपीय संदर्भ में हुआ, जहाँ मानव विकास के एक चरण में धर्म, सत्ता, राज्य सत्ता पर बड़ी कठोरता से प्रभावी हो गई थी। चर्च का नियंत्रण राज्य और सम्पत्ति दोनों पर था, परन्तु सामाजिक परिवर्तन के क्रम में इस स्थिति के विरूद्ध परिस्थितियाँ तैयार होने लगी। विभिन्न बुद्धिजीवियों ने इस प्रथा के विरूद्ध आवाज उठाई और राज्य को चर्च से पृथक् या विरूद्ध करने के स्वरूप को धर्मनिरपेक्षता के रूप में परिभाषित किया। यद्यपि अंग्रेजी का शब्द सेक्युलरिज्म भारत में अपनी मूल परिभाषा के साथ गतिमान करना व्यावहारिक नहीं हुआ, जिसका कारण यहाँ की पृथक् सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना में समाहित थी। धर्मनिरपक्षेता की परम्परा भारत की जड़ों में समाहित रही है। भारतीय संस्कृति में विविध आध्यात्मिक परम्पराओं एवं धार्मिक–सामाजिक आंदोलनों का निरन्तर प्रवाह होता रहा है। प्राचीन भारत में सनातन धर्म (हिन्दू धर्म) वास्तव में विभिन्न आध्यात्मिक परम्पराओं को समेटते हुए उन्हें एक समग्र से प्रस्तुत करने की ही अनुगामी रही हैं। चार वेदों, विभिनन प्रकार के उपनिषद एवं पुराणों के विकास में हिन्दू धर्म की वैविध्यता का ही प्रकटीकरण होता है, जिसमें अनेकानेक धार्मिक पंथीय परम्पराएँ समाहित होती रही हैं। भारत देश में धार्मिकता, संस्कृति एवं परम्परा सदियों से चली आ रही हैं। विचारों की विविधता और विपरीत विचार की स्वीकार्यता की समृद्ध परम्परा का द्योतक रहा है भारतीय समाज। अपनी कृषि प्रधान संरचना के साथ–साथ इस देश को धर्मपरायण देश भी कहा जाता है। यहाँ कई धर्म, सम्प्रदाय एक दूसरे के साथ सद्भाव से अपना जीवन यापन करते रहे है। यथार्थ इस विशेषता के साथ अनेकानेक प्रसंग जुड़ते रहे हैं, जिनके कारण यहाँ भी साम्प्रदायिकता प्रभावी होती रही। वर्तमान परिदृश्य भी इसके विपरीत नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर भी बहुत से उदाहरण और ऐतिहासिक आधार हैं, जब धर्मनिरपेक्षता जीवन के मूलभाव में निहित थी।

मौर्यवंश, सम्राट अशोक, सातवाहन काल खंड, हर्षवर्धन का समय काल, वाकाटक राजवंश आदि के राजकीय शासन प्रणाली में धर्म निरपेक्षता कायम बनी हुई थी। बौद्ध, हिन्दू, ईसाई, मुस्लिम आदि सभी धर्मो में दया और प्रेम ही प्रभावी रहा। लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने जिस धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया था, उससे भारतीय सामाजिक मूल्यों को पोषण मिलता है। अशोक द्वारा रेखांकित धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण न केवल भारतीय बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक मील का पत्थर है। (येरांकर, 2006)। जैनिस्म, बुद्धिज्म एवं उसमें बाद आये इस्लाम एवं ईसायतन में धार्मिक सहिष्णुता को बनाये रखने का दबाव लगभग जारी रहा, जो निश्चित ही समृद्ध भारतीय परम्परा एवं मूल्यों के कारण था।

मध्यकाल में सूफी एवं भक्ति आंदोलनों ने विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम एवं शांति का संदेश दिया। संतों एवं सूफियों की एक लम्बी फेहरिस्त रही जिसने सहिष्णुता के विचारों को निरन्तर धार दिया व और एक समन्वयवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसे आज भी कोई चुनौती नहीं दे सकता है। गुरूनानक का वाक्य कि, ''जिस प्रकार व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेद नहीं है उसी प्रकार हिन्दू और मुसलमान में'' ने धर्म निरपेक्षता की जड़ों को मजबूती प्रदान किया। (रिजवी, 2005)।

अधिकांश मुगल शासक अपने दृष्टिकोण में उदार एवं सहिष्णुता थे, जिसका प्रमाण है कि एक हिन्दू मान सिंह अकबर की सेना का सेनापति था। लगभग 40,000 राजपूत सिपाही एवं 500 से ज्यादा हिन्दू सरदार थे। शाहजहाँ के दौर में लगभग 22. 4 प्रतिशत हिन्दू सरदार थे। औरंगजेब के समय यह प्रतिशत 31.6 था। उसने राजा जसवंत सिंह को अफगानिस्तान का प्रमुख नियुक्त किया था। उसके राज्य में मृत्यु तक रघुनाथ दास प्रधानमंत्री बने रहे। मुस्लिम शासकों को जैसा हिन्दू विरोधी चित्रण किया जाता है वास्तव में वैसा नहीं था। (येरांकर, 2006)। इसी प्रकार महाराणा प्रताप का सेनानायक हाकिम सिंह सूरी था और छत्रपति शिवाजी के शासन में सिद्धी हलाल और नूरखान मुस्लिम सरदार थे (तारा, 1991)।

मुगल सम्राट अकबर (15 अक्टूबर, 1542) ने सहिष्णुता की दिशा में ही दीन–ए–इलाही धर्म की स्थापना की। हिन्दुओं पर जजिया कर समाप्त किया और काफी सीमा तक धर्म के प्रति राज्य को निरपेक्ष बनाया। इसी प्रकार मुगल सल्तनत के धोर विरोधी छत्रपति शिवाजी ने अपने साम्राज्य में सभी धर्म और सम्प्रदाय को सम्मान दिया। राजधर्म एवं प्रजाधर्म निभाया।

आधुनिक भारत की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाय तो भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन धर्मनिरपेक्षता की गम्भीर पैरवी करता दिखाई देता है। दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, गोविन्द रानाडे एवं गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कई उदारवादी नेता राजनीति में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे थे। धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के नये भारत में सबसे प्रमुख पैरोकार के रूप में महात्मा गांधी एवं पं0 जवाहर लाल नेहरू का नाम प्रमुख रूप स्वीकार किया जाता है। महात्मा गांधी सभी धर्मो के बीच भाईचारे एवं प्रेमभाव पर विश्वास करते हुए सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो पं0 नेहरू की धर्मनिरपेक्षता वैज्ञानिक तरीके में विश्वास, मानववाद एवं प्रगतिशीलता के बदलाव को इंगित करती है। यही धारा आजादी के पश्चात संविधान के आवरण में प्रभावी हुई। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म एवं व्यक्ति स्वतंत्र पूरक के रूप में स्वीकार किये गये और प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म चुनते एवं उसके अनुरूप व्यवहार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

धर्मनिरपेक्षता : संवैधानिक संदर्भ

वस्तुतः भारत ने धर्म सहिष्णुता और सांस्कृतिक सह–आस्त्वि को बढ़ावा देने के लिए धर्म निरपेक्षता को अपनाया

(माजिद, 1985)। यही अभिव्यक्त होता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 में जहाँ उधृत है, ''राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने अथवा पोषण करने के लिए, अन्य धर्म के अनुयायियों पर कोई कर आरोपित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 28 के अनुरूप 1. राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त घोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जायेगी। 2. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में यदि कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है तो व्यक्ति को इस धार्मिक शिक्षा में सम्मिलित होने अथवा विलग रहने की स्वतंत्रता है।

भारत के संविधान तथा धार्मिक स्वतंत्रता को वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक सोंच के साथ व्यवहृत करने के उपाय सुनिश्चित किए गये हैं। इन उपायों द्वारा व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों का स्वतंत्रतापूर्वक पालन कर सकता है, तथा धार्मिक सहिष्णुता द्वारा मनुष्य की एकता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। संविधान द्वारा धार्मिक स्वतत्रंता को लोक व्यवस्था तथा सदाचार के अधीन रखा गया है, जिससे धार्मिक वैमनस्य, अंतधार्मिक श्रेष्ठता तथा पर–धर्म आधिपत्य की प्रवृत्तियों को निष्फल किया जा सके।

धर्मनिरपेक्षता : व्यावहारिक परिदृश्य

के.एस. सिंह के 'पीपल ऑफ इण्डिया' में किए गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में 91 सांस्कृतिक क्षेत्र है। मुख्यतः 6 धर्म यहाँ अपनी मत–मान्यताओं के लेकर अस्तित्व में है। ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के पश्चात् स्वतंत्र भारत को एक बहुलवादी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया जहाँ धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के स्वागत की परम्परा महत्वपूर्ण मानी गई। रामबाबू (2006) के अनुसार देश के बंटवारे के वक्त 361 मिलियन लोग भारत में रहे, जिनमें 315 मिलियन हिन्दू, 32 मिलियन मुस्लिम, 7 मिलियन क्रिश्चियन, 6 मिलियन सिख एवं 9 मिलियन बौद्ध एवं लगभग 100,000 पारसी थे। इसलिए यह आवश्यक था कि भारत बहुसंस्कृतिवाद को आश्रय दे और उसी अनुरूप भारत के संविधान ने आकार भी ग्रहण किया।

इसके उपरान्त हम यह नहीं कह सकते भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करता ही है। अनेक बिन्दुओं पर भारत की धर्मनिरपेक्षता, यूरोपीय अवधारणा से पृथक् हो जाती है। वास्तविकता में भारत की सरकार हमेशा धर्मनिरपेक्षता के पथ पर चलने का प्रयास करती है, किन्तु कई बार ऐसा नहीं हो पाता। प्रताप भानु मेहता संदेह व्यक्त करते है कि, ''भारतीय राज्य के संस्थान और विशेष रूप से अदालते एक ऐसी एजेंसी बन गई है, जिसके माध्यम से न केवल सार्वजनिक उद्देश्य बल्कि आंतरिक धार्मिक सुधारों को भी व्यक्त किया गया है ..... भारतीय राज्य हिन्दू धर्म पर प्राधिकार धर्मनिरपेक्ष चरित्र के कारण नहीं, बल्कि हिन्दुओं द्वारा ऐसा अधिकृत करने के कारण कर पाता है। (मेहता, 2005, 57)। अर्थात् भारत में धर्मनिरपेक्षता के विभिन्न प्रकार अर्थ एवं तरीके अभ्यास में हैं। इसी तरह राजीव भार्गवा (2005, 105–33) ने तर्क दिया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत से दूरी बनाती है, जिसमें गैर संस्थान है, किन्तु धर्म एवं राज्य के बीच सख्त अलगाव से बचाता है, वहीं सेवी येल्ड्रिम (2004) वर्णन करते है कि राजनीति संदर्भ में पुनर्निर्माण की बहस से यह कहा जा सकता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य सह–आस्तित्व में हो सकते है। पश्चिमी विचारों से अलग भारतीय विचारकों के मत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्महीनता नहीं। इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदरभाव एवं सभी व्यक्तियों हेतु समान अवसर है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो।

संदर्भवादी तर्क का एक सार यह है कि, धर्मनिरपेक्षता एक स्वतंत्र अमूर्तता के बजाय एक स्थित पद है, जिसके अलग–अलग वांछनीय अर्थ हो सकते है (फ्रेंकल,2002)। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य से पृथकता अथवा सह–आस्तित्व दोनों के भाव में सम्भव हो सकता है। भारत के संदर्भ में यदि ध्यान दिया जाय तो राज्य एवं धर्म के स्वतंत्र अस्तित्व की बात व्यावहारिक नहीं है। सिद्धांत अवश्य ऐसा प्रयास किया जाता है, किन्तु वास्तविकता के धरातल पर धर्म एवं राज्य का सहअस्तित्व ही सामने आता है। भारत देश को कई अलग–अलग धर्मों एवं संस्कृतियों की भूमि माना जाता है, जो सामान्यतया सह–अस्तित्व में जीता रहा है। भारतीय विविधता आधुनिक भारत की शक्ति का आधार रही है। देश की समावंशी प्रकृति दुनियाँ के किसी अन्य देश की अपेक्षा अलग है। भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षता जटिल सामाजिक सम्बन्धों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। यद्यपि इतिहास में धार्मिक विद्वेष एवं संघर्ष के विभिन्न उदाहरण प्रमाणित हैं, किन्तु इसके उपरान्त भी एकता का भाव बना रहा। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारतीय संविधान में लम्बे समय तक सम्मिलित ही नहीं रही, जबतक 42वाँ संविधान संशोधन अनुकूलित एवं लागू नहीं किया गया। इन्हीं सब कारणों से भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता और इसकी व्याख्या की अवधारणा अभी भी पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की तुलना में अदालतों और विशेषज्ञों के बीच अनश्चित और अस्पष्ट दिखाई देती है।

(पॉल ब्रास 2006) धर्मनिरपेक्षता को मनोवृत्ति के रूप में भी परिभाषित करते हैं। उदाहरण के रूप में पॉल ब्रास का कहना है कि जो शहर या कस्बा हिन्दू–मुस्लिम दंगों से मुक्त है, वहाँ के व्यापारी और उद्योगपति धर्मनिरपेक्ष सोंच रखते हैं और दूसरे समुदाय के लोगों के साथ व्यापार सम्बन्ध बनाते है। इसके पक्ष में एक महत्वपूर्ण उदाहरण अलीगढ़ के मुस्लिम ताला निर्माता है जिनके उत्पादों पर हिन्दू ईश्वर कृष्ण का नाम अंकित होता है। एस0आर0 बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'पंथ निरपेक्षता' संविधान का आधारभूत ढांचा है। राज्य सभी धर्मो और धार्मिक

समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्म व्यक्तिगत विश्वास की बात है। उसे लौकिक क्रियाओं में नहीं मिलाया जा सकता। लौकिक क्रियाओं को राज्य विधि बनाकर विनियिमित कर सकता है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता वैधात्मिक विश्वास को आध्यात्मिक पथ से पृथक करती है। राज्य न तो किसी धर्म का पक्ष लेता है न ही किसी धर्म को विरोध करता है। राज्य धर्म के मामले में तटस्थ है और सभी धर्मों के मध्य समान व्यवहार करता हैं।

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसे संवैधानिक मर्यादा का पालन करना होता है। भारत इसी अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है, जिस अर्थ में भारत को प्रजातंत्र कहा जा सकता है। भारतीय राजनीति व शासन में कई अजनतंत्रीय विशेषताओं के होते हुए भी संसदीय प्रजातंत्र यहाँ कार्यशील है और वह पर्याप्त क्षमता से कार्य कर रहा है। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श स्पष्ट रूप से संविधान विधमान है और थोड़े बहुत विचलन के साथ भारतीय समाज एवं राजनीति उसका अनुपालन करता है।

सन्दर्भ

चन्द्रा, विपिन,(2005) *समकालीन भारत,* अनामिका पब्लिकेशन

रिजवी, एम एम (2005) : सेक्यूलरिज्म इन इण्डिया, *दी इण्डियन जर्नल आफ पॉलिटिकल साइन्स,* वाल्यू0 66(4).

चन्द्रा, विपिन,(2005) : *कम्यूनलिज्म : ए प्राइमर* न्यू देलही, नेशनल बुक ट्रस्ट

येरांकर,एस (2006): *सेक्यूलरिजम इन इण्डियाःथियरी एण्ड प्रेक्टिस,* अध्ययन पब्लिशर्स

तारा, एस0 (1991) : *सेक्यूलर इण्डिया,* नई दिल्ली, अनमोल पब्लिकेशन्स

मजिद ए (1986) : *सेक्यूलरिज्म एण्ड नेशनल इन्टीग्रेसन इन दी इण्डियन मल्टी एथनिक सोसाइटी एण्ड नेशनल इन्टीग्रेसनः ए पॉलिटिकल एन्थ्रोपॉलाजिकल व्यू,* इलाहाबाद, वोहरा पब्लिकेशनस एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स

रामबाबू, ए (2006) : *स्कूल एजुकेशन एण्ड दी आइडालोजी ऑफ नेशनलिज्म इन पोस्ट इन्डिपेंडेंस इण्डियाः ए सोसियोलाजिकल एनालिसिस,* डाक्टोरल डिजर्टेशन, नई दिल्ली जे0एन0यू0

मेहता, प्रताप सरन (2005) : *रीजन, ट्रेडिसन, अथारिटी, रिलीजन, एण्ड दी इण्डियन स्टेट,* इन मेन्स ला, वोमेन्स लाइटसः ए कान्स्टीच्यूसनल पर्सपेक्टिव आन रिलीजन, कामन ला एण्ड कल्चर इन साउथ एशिया एडि0 इण्डिवा जैसिंग्स 56–86, न्यू डेलही, वोमेन अनलिमिटेड

भार्गव, राजीव (2005) : *इण्डियाज सेक्यूलर्स कान्स्टीच्यूषन्स इन इण्डियाज लिविंग कान्स्टीच्यूशन : इण्डियाज प्रैक्टिसेज कान्टूवर्सीज* एडि0 जोया हसन, ई श्रीधर, एण्ड आर सुदर्शन 105–33 लंदन, एंथर्न प्रेस

येल्ड्रिन सेवी (2004): एक्सप्लेंडिंग सेक्यूलरिज्म्स स्कोपः एन इण्डियन केस स्टडी, *अमेरिकन जर्नल ऑफ कम्परेटिव ला,* **52** (4) 901–18

कविराज,सुदीप्तो (2002) : *डिमॉक्रेसी एण्ड सोशल इनइक्यूलिटी इन ट्रसन्सफार्मिंग इण्डिया, सोशल एण्ड पॉलिटिकल डायनामिक्स आफ डिमॉक्रेसी* एडि0 फ्रेंकाइन आर फ्रेंकल, जोया हसन, राजीव भार्गव एण्ड बलबीर अरोड़ा, 89–119 न्यू डेलही, औसफोर्ड प्रेस

ब्रास, पॉल आर (2006): इण्डियन सेक्यूलरिज्म इन प्रैक्टिस, *इण्डियन जर्नल आफ सेक्यूलरिज्म* **9**(1), 116–132